BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Ors. **…APPLICANT**

v.

State of Madhya Pradesh & Ors. **…RESPONDENTS**

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 2 – Director, Mining and Geology, Government of Madhya Pradesh	1-6
2.	**Annexure R-1:** Copy of verification report of the mine	7
3.	**Annexure R-2(Colly):** Copy of the verification report	8-16
4.	**Annexure R-3:** Copy of the digitized map of the mining site	17-19
5.	**Annexure R-4(Colly):** Copies of the assessment reports	20-21
6.	**Annexure R-5:** Copy of the letter 24.07.2025 issued by the MP State Mining Corporation to Madhya Pradesh State Electronics Corporation	22-31
7.	**Annexure R-6:** Copy of the letter dated 27.05.2025 issued by the MP State Mining Corporation	32-35
8.	**Annexure R-7:** Copy of the letter dated 10.10.2025 issued by the Collector, Balaghat	36-37
9.	**Annexure R-8(Colly):** Copies of six monthly reports	38-75

10.	**Annexure R-9:** Copy of letter dated 29.05.2024 issued by the Madhya Pradesh Mineral Resources Department	76-78
11.	**Annexure R-10:** Copy of the letter issued by Directorate of Mining and Geology, State of Madhya Pradesh for installation of checkgates	79

Filed by:

Ms. Rukhmini Bobde
Advocate on behalf of Respondent No. 4
D-366, Ground Floor, Defence Colony
New Delhi-110024
Mob: 9871738029
Email: bobde.rukhmini@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1262/2024

IN THE MATTER OF:

Shankar Lal Lakhande & Ors. ... APPLICANT

v.

State of Madhya Pradesh & Ors. ... RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2-DIRECTOR MINING AND GEOLOGY, GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

I, Frank Noble. A S/o R. Augustine Manohar, aged about 40 years, presently working as Director, at Directorate Geology and Mining Madhya Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under : -

1. That I am the Respondent No. 2 in the captioned application and as such am competent to swear this affidavit.

2. The present original application was registered by this Hon'ble Tribunal in exercise of its suo-moto jurisdiction. The present application is concerning the illegal sand mining in village Chicholi in river Bawanthadi in Madhya Pradesh. This Hon'ble Tribunal had constituted a Joint Committee with Central Pollution Control Board being the nodal agency.

3. This Hon'ble Tribunal *vide* order dated 08.07.2025, after taking note of the Joint Committee Report, had directed the answering Respondent to take remedial steps and file its action taken report.

4. At the outset, it must be submitted that a clerical error was found in the Joint Committee Report wherein the longitude of Pillar No. C as mentioned in the Report was contrary to the actual geo-coordinates of the mining plan. A copy

of the verification report has been attached herewith and marked **Annexure R-1**.

5. Pursuant to the order of this Hon'ble Tribunal, it is submitted that upon inspection of the site, discrepancies were noted between the geocoordinates provided in the mining plan and those inscribed on the boundary pillars installed at the site. It is submitted that based on the Joint Committee Report, proceedings has been initiated by Collector Balaghat to take action against the illegal mining operators.

6. It is submitted that from the period 2021 onwards, the geographical coordinates of the mining site have remained consistent in the mining plans, environmental clearance and the DSR for the Chicholi sand mine. A copy of the verification report has been attached herewith and marked **Annexure R-2 (Colly)**.

7. It is submitted that the Joint Committee Report had recommended for strengthening of the monitoring and enforcement mechanism to curtail any kind of illegality. In addition, the Joint Committee Report had stated that geotagging of the mine lease boundaries shall be made and shall be displayed on the web portal for public disclosure. In this regard, it is submitted that all the geotagging have been publicly displayed on the Collector's Office portal https://balaghat.nic.in/en/document/district-survey-report-for minerals/ . Additionally, the geotagged information of the mines is also displayed on the Parivesh portal of the Government of India. It is also submitted that the geotagged details of the mines are also available on the XGN Portal of the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

8. The Joint Committee Report had directed that MP State Mining Corporation revise its mining plan of Chicholi village as part of the mine lease boundary is falling in Maharashtra. It had also recommended to strengthen the trans boundary movement of minerals to curtail illegal transportation. In this regard,

it is submitted that on the directions of the answering Respondent, the MP State Mining Corporation, in relation to Village Chicholi, conducted a comparison of the approved mining area with the maps obtained from the Madhya Pradesh Land Records Department (Bhulekh). As per the comparison, the entire mining area lies within the territory of Madhya Pradesh. This was verified by the District Mining Officer, Balaghat also. A copy of the report is also annexed herewith and marked as **Annexure R-2 (Colly).**

9. It is also submitted that since the reliability of coordinates shown on Google Earth cannot be established, geocoordinate maps of the village were obtained from the official website of the Land Records Department (https://mpbhulekh.gov.in). On these maps, the coordinates depicted in the DGPS survey and the mining plan were plotted and found to be almost at the same location. For example, some parts of the Chicholi mine appear on Google Earth to fall within the state of Maharashtra, whereas according to the digitized maps of the Land Records Department, the coordinates shown in the mining plan and DGPS survey are entirely within Madhya Pradesh annexed herewith as **Annexure R-3(Colly).**

10. The Joint Committee Report had also recommended that comprehensive replenishment study to be conducted. In this regard, it is submitted that since 2021, the availability of sand before and after the monsoon season has been physically assessed every year by the Mining Department in District Balaghat. Copies of the assessment reports has been annexed herewith as **Annexure R-4 (Colly).**

11. It is also submitted that as per the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020, the answering Respondent is initiating a pilot project through Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation (MPSEDC) to carry out mine-wise replenishment studies from time to time. A

NOTARY BHOPAL (M.P.) Chandra Shekhar Deshpande GOVT OF INDIA

copy of the letter written in this regard to the MPSEDC is annexed herewith and marked as **Annexure R-5**.

12. The Joint Committee Report had also indicated that the MP State Mining Corporation should establish Environmental Management Cell with qualified persons to comply with sustainability and compliance to all the Environmental Clearances issued to them. In this regard, it is submitted that on the directions of the answering Respondent, an Environmental Management Cell has been constituted at the level of MP State Mining Corporation Limited. This cell includes experienced and certified engineers, through whom compliance with the conditions of environmental clearance is being ensured. A copy of the constitution of the Environment Management Cell is annexed herwith and marked as **Annexure R-6**.

13. The Joint Committee Report had also recommended for steps to quantify the actual mineral excavation and dispatch. In this regard, it is submitted that sand extracted from rivers is stored at designated approved stockyard locations. At these stockyards, volumetric verification is carried out through drone surveys. Additionally, the sale of sand minerals is conducted volumetrically, based on which mineral transit passes are issued for transportation in vehicles. The physical verification of the quantity is also conducted to ensure accuracy. **Annexure R-7**.

14. The Joint Committee Report had recommended to ensure that the MP State Mining Department, through MDO shall ensure plantation as per the conditions stipulated in the environmental clearance. In this regard, as the per the instructions of the Answering respondent, environmental management consultants have been authorized by MP State Mining Corporation. An Environmental Management Cell has been constituted for this purpose, through which compliance with plantation activities and other environmental clearance conditions by the MDO is being ensured. Copies of the six monthly

NOTARY BHOPAL (M.P.) GOVT

reports showing compliance of the same is annexed herewith and marked as **Annexure R-8 (Colly)**.

15. In compliance with the contracts issued for the mines, six-monthly reports have been submitted to the SEIAA office and District-level mining office, Details of the reports have been verified have by the District-level Mining office as well as the MP State Mining Corporation. A copy of six-monthly reports is annexed herewith and marked as **Annexure R-8(Colly)**.

16. Finally, it is submitted that the Madhya Pradesh Mineral Resources Department, through directions issued on 29.05.2024, has instructed that mine larger than 250 hectares be identified and notified across the state. A copy of the said directions is annexed herewith and marked as **Annexure R-9**.

17. Steps have also been taken to identify mines in smaller rivers and streams. The process of identifying and notifying sand mines based on replenishment studies in rivers is a continuous and ongoing activity.

18. To monitor interstate transportation of minerals, an electronic check gate (unmanned monitoring system) is being installed on the road near the inter-state border in Village Bonkatta, located near the Chicholi mine area. This will enable monitoring of sand transported from the Chicholi sand mine as well as minerals transported from other nearby regions. A copy of the order regarding the installation of the e-check gate is enclosed as **Annexure R-10**.

19. That, the Answering Respondent humbly craves the leave of this Hon'ble Tribunal to adduce additional facts by way of additional affidavit as may be deemed necessary for the proper adjudication of the instant application by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY BHOPAL (M.P.) Chandra Shekhar Deshpande REG. NO. 14574 Valid Till-13/08/29 GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent named above, do hereby verify that the contents of the above affidavit are believed to be true and correct on the basis of the information derived from the record of the case and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at on this 10th day of October, 2025 at Bhopal.

DEPONENT

NOTARY BHOPAL (M.P.) Chandra Shekhar Deshpande REG. NO. 14574 Valid Till-13/09/28 GOVT OF INDIA

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED 10/10/2025
Chandra Shekhar Deshpande
NOTARY-ADVOCATE BHOPAL (INDIA)

10/10/2025
IDENTIFIED BY ME
NAME P. P. Rai
ADDRESS 29 A Arera hills Kheri Bhawan Bhopal
SIGNATURE 10/10/2025

NOTARY PUBLIC
नोटरी पंजी. क्र. 364
पृष्ठ क्रमांक 39
रसीद क्रमांक
दिनांक 10/10/2025
हस्ताक्षर नोटरी

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालाघाट

क्रमांक - 731

दिनांक 10-10-2025

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्,
29-ए, खनिज भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- संयुक्त समिति की रिपोर्ट 23/12/2024 के पृष्ठ क्रमांक 14 पर उल्लेखित ग्राम चिचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान के निर्देशांक सत्यापन के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में ओ.ए. क्रमांक 1262/2024 (शंकरलाल लाखड़े एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित आदेश दिनांक 20/11/2024 के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23/12/2024 के पृष्ठ क्रमांक 14 में लेख अनुसार अनुमोदित खनन योजना के अक्षांस एवं देशांस का मिलान, खनन योजना में उल्लेखित अक्षांस एवं देशांस से मिलान किया गया। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में एक लिपिकीय त्रुटि पाई गई, जिसमें स्तंभ संख्या 'C' का देशांतर (Longitude) रिपोर्ट में उल्लेखित निर्देशांक से भिन्न था, जो कि वास्तविक खनन योजना के भू-निर्देशांकों से मेल नहीं खाता है। वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

07/10/25
खनि निरीक्षक

खनिज सर्वेयर

खनि मानचित्रकार

07/10/2025
खनि अधिकारी
वास्ते कलेक्टर बालाघाट

ANNEXURE R-2 (COLLY)

516

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.) 8

R-2

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 733 / खनिज / 2025 बालाघाट दिनांक 10 / 10 / 2025

प्रति,

संचालक,
प्रशासन तथा खनिकर्म
29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262 / 2024 के संबंध में ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान के निर्देशांको के सत्यापन के संबंध में।

–::::::000::::::–

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262 / 2024 के संबंध में जवाबदावा तैयार किए जाने बावत् ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान के निर्देशांको का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के पालन में खनि सर्वेयर, सहा. मानचित्रकार तथा खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 06 / 10 / 2025 को संयुक्त रूप से ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान में मौके पर खदान के निर्देशांको का सत्यापन किया जाकर दिनांक 07 / 10 / 2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

(A) उक्त अनुसार अनुसार जिला बालाघाट अंतर्गत के संबंध में स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरणी अनुमति, डी.जी.पी.एस रिपोर्ट के विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों में उल्लेखित खदान के निर्देशांको का विवरण निम्नानुसार है:–

1. डी.एस.आर. (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2026–27 तक पांच वर्ष के लिए वैध) जैसा कि 06 / 06 / 2023 को अनुमोदित किया गया।
2. पुरानी अनुमोदित खनन योजना 26 / 12 / 2020
3. नवीन अनुमोदित खनन योजना 21 / 04 / 2023
4. पिछली पर्यावरणीय मंजूरी 25 / 03 / 2021
5. वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी 04 / 10 / 2023
6. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट

उपरोक्तानुसार सभी वैधानिक अभिलेखो में निर्देशांक एक समान है।

(B) उक्त के अतिरिक्त खदान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए स्वीकृत खनन योजना और डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट के अनुसार निर्देशांक गूगल अर्थ पर अंकित किए गए। इसके साथ ही भू–अभिलेख की अधिकारिक वेबसाईट (http://mpbhulekhgov.in) से गांव के भू–निर्देशांक मानचित्र प्राप्त किए गए जिन्हे भी गूगल अर्थ पर अंकित किया गया।

जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है–

1. खनन योजना निर्देशांको के अनुसार खदानों का स्थान चतुर्सीमा बिन्दु A,B,C,D से घिरा हुआ है।
2. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार चतुर्सीमा बिन्दु I, II, III, IV से घिरा हुआ है।
3. भू–अभिलेख डिजीटाईज्ड रिकार्ड अनुसार ग्राम चिचोली गांव की सीमा है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के अनुसार ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में संपूर्ण खनन क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र में स्थित है। तदनुसार वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

10/10/2025

खनि अधिकारी

जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर,
(खनिज शाखा)
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान के निर्देशांको का सत्यापन किये जाने बाबत्।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 06.10.2025 को जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान के संबंध में स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरणी अनुमति, डी.जी.पी.एस रिपोर्ट के विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों में उल्लेखित खदान के निर्देशांको का मौके पर खनिज अमले द्वारा सत्यापन किया गया, विवरण निम्नानुसार है:–

1. डी.एस.आर. (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2026–27 तक पांच वर्ष के लिए वैध) जैसा कि 06/06/2023 को अनुमोदित किया गया।
2. पुरानी अनुमोदित खनन योजना 26/12/2020
3. नवीन अनुमोदित खनन योजना 21/04/2023
4. पिछली पर्यावरणीय मंजूरी 25/03/2021
5. वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी 04/10/2023
6. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट

उपरोक्तानुसार सभी वैधानिक अभिलेखो में निर्देशांक एक समान है।

(B) उक्त के अतिरिक्त खदान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए स्वीकृत खनन योजना और डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट के अनुसार निर्देशांक गूगल अर्थ पर अंकित किए गए। इसके साथ ही भू–अभिलेख की अधिकारिक वेबसाईट (http://mpbhulekhgov.in) से गांव के भू–निर्देशांक मानचित्र प्राप्त किए गए जिन्हे भी गूगल अर्थ पर अंकित किया गया।

जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है–

1. खनन योजना निर्देशांको के अनुसार खदानों का स्थान चतुर्सीमा बिन्दु A,B,C,D से घिरा हुआ है।
2. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार चतुर्सीमा बिन्दु I, II, III, IV से घिरा हुआ है।
3. भू–अभिलेख डिजीटाईज्ड रिकार्ड अनुसार ग्राम चिचोली गांव की सीमा है।

अतः उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में संपूर्ण खनन क्षेत्र म.प्र. राज्य क्षेत्र में स्थित है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

7.10.2025		7/10/2025
खनि सर्वेयर	सहा. मानचित्रकार	खनि निरीक्षक
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	जिला–बालाघाट (म.प्र.)	जिला–बालाघाट (म.प्र.)

हम पंचगण/अधोहस्ताक्षरकर्ता पंचनामा तस्दीक करते हैं कि जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम चिचौली तह० लांजी के मध्य बावनथड़ी नदी खसरा क्रमांक 463 के अंशभाग रकबा 4.99 क्षेत्र में स्वीकृत/घोषित रेत खदान का मिलान राजस्व अभिलेख अनुसार एवं कार्यालयीन दस्तावेज स्वीकृत खनन योजना दिनांक 26/12/2020, नवीन खनन योजना 31/04/2023, पर्यावरण स्वीकृत/मंजूरी दिनांक 25/05/2021, वर्तमान पर्यावरण मंजूरी/स्वीकृत दिनांक 04/10/2023, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) एवं डी० जी० पी० एस सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित अक्षांश-देशांश का मौके पर मिलान किया गया तत्पश्चात सत्यापन के दौरान अक्षांश देशांश एक समान होना पाया गया। भू-अभिलेख की आधिकारिक वेबसाईट अनुसार स्वीकृत रेत खदान मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के अंदर होना पाया गया। चिचौली खदान से संबंधित (खसरा क्रमांक 463 रकबा 4.99 हे०) चिचौली खदान से संबंधित अभिलेखों के अक्षांश-देशांश की सारणी सत्यापित कर संलग्न है।

मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, पढ़कर सही होने पर अपने हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षर)
दुर्गेश डहेरिया
सर्वेयर
जिला - बालाघाट

(हस्ताक्षर)
कमलेश्वर पटले
सहा० मानचित्रकार
खनिज शाखा
जिला बालाघाट

(हस्ताक्षर) 06/10/2025
सुरेश कुलस्ते
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट

(हस्ताक्षर)
मनीष तिवारी
सिपाही
खनिज शाखा बाला०

(हस्ताक्षर)
पूरन लाल लालधकार
कनिष्ठ पर्यवेक्षक
म.प्र. राज्य खनिज निगम

11

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला–बालाघाट (म0प्र0)

विषय :– दिनांक 29/8/2025 को जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट के खसरा कमांक 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र खनिज रेत हेतु स्वीकृत रेत खदान का संयुक्त निरीक्षण किए जाने बावत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र कमांक 654 दिनांक 28.08.2025

–::::::000::::::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) तथा जिला बालाघाट (म.प्र.) के खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा दिनांक 29/08/2025 को ग्राम चिचोली खसरा कमांक 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान की संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के दौरान जिला भण्डारा (महाराष्ट्र) की ओर से रायल्टी इंस्पेक्टर खनिकर्म शाखा कलेक्ट्रेट जिला भण्डारा, संबंधित हल्का पटवारी ग्राम बपेरा तहसील तुमसर जिला भण्डारा (महाराष्ट्र), खनि निरीक्षक जिला बालाघाट, संबंधित हल्का पटवारी ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी एवं पंचगण उपस्थित रहे। जांच दौरान स्वीकृत रेत खदान ग्राम चिचोली खसरा कमांक 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र राजस्व रिकार्ड अनुसार बावनथडी नदी का है। बावनथडी नदी महाराष्ट्र राज्य व म.प्र. राज्य की सीमा को विभक्त करती है। मौके पर तुसार सुरेश राव कावडे (तलाठी/पटवारी) द्वारा बताया गया कि ग्राच चिचोली के विपरित दक्षिण दिशा में ग्राम वारपिण्डकेपार तहसील तुमसर जिला भण्डारा है। संयुक्त जांच के दौरान उक्त बावनथडी नदी में बारिश का पानी भरा हुआ होना पाया गया। जांच के दौरान ग्राम चिचाली में स्वीकृत रेत खदान एवं महाराष्ट्र के ग्राम वारपिण्डकेपार स्थित बावनथडी नदी में कोई भी व्यक्ति/वाहन खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते हुए नहीं पाया गया।

अतः उक्त प्रतिवेदन महोदय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

29.8.25

29/08/25

प्रफुल लंके
रायल्टी इंस्पेक्टर
खनिकर्म शाखा कलेक्टर
कार्यालय जिला भण्डारा
(महाराष्ट्र)

बसंत कुमार पाटिल
खनि निरीक्षक
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

तुषार सुरेशराव कावडे
तलाठी/पटवारी
हल्का ग्राम बपेरा तहसील तुमसर जिला भण्डारा (महाराष्ट्र)

पंचनामा

आज दिनांक 29.8.2025 को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक /654/खनिज/2025 बालाघाट दिनांक 28.8.2025 के परिपालन में प्रफुल लेंडे रायल्टी इंस्पेक्टर खनिकर्म शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला भंडारा महा., तुषार सुरेश राव कावडे (तलाठी) हल्का पटवारी ग्राम बपेरा तह. तुमसर जिला भण्डारा (महा.), खनि निरीक्षक जिला बालाघाट, तहसील किरनापुर के ग्राम चिचोली ख.क्र. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान की जांच हेतु उपस्थित हुए। मौके पर स्वीकृत रेत खदान ख.क्र. 463 रकबा 4.990 हे. राजस्व रिकार्ड अनुसार बावनथड़ी नदी का है बावनथड़ी नदी महाराष्ट्र राज्य व मध्यप्रदेश राज्य की सीमा को विभक्त करती है मौके पर तुषार सुरेश राव कावडे (तलाठी) द्वारा बताया गया कि ग्राम चिचोली के विपरीत दक्षिण दिशा में ग्राम वारपिंडकेपार तह. तुमसर जिला भण्डारा है। संयुक्त जांच के दौरान उक्त बावनथड़ी नदी में बारिश का पानी भरा हुआ होना पाया गया। जांच के दौरान ग्राम चिचोली में स्वीकृत रेत खदान एवं महाराष्ट्र के ग्राम वारपिंडकेपार ग्राम में स्थित बावनथड़ी नदी में कोई भी व्यक्ति/वाहन खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते हुए नहीं पाया गया।

उक्त पंचनामा हम पंचों के समक्ष लिखा गया बाद पढ़कर सुनाया गया सही होने पर बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर किये।

[signature] [signature] m.I. 29.8.25 [signature] रविपारधी [signature] 29/08/25 पटवारी चिचोली [signature] 29/08/25

प्रफुल लेंडे (रायल्टी इंस्पेक्टर) खनिकर्म शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला भंडारा (महा.) 8999883925

[signature] (संतोष उप.अधिकारी)

शेखर सारवरे शेखर सुखदास सारवरे निवासी- बपेरा तह. तुमसर जिला भंडारा जि. महाराष्ट्र

तुषार सुरेश राव कावडे (तलाठी) हल्का पटवारी ग्राम बपेरा तह. तुमसर, जिला भण्डारा (महा.) मो. 9922293551

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला–बालाघाट (म0प्र0)

विषय :– ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट के खसरा कमांक 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र पर खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत्।

संदर्भ :– क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर का पत्र कमांक 2243 दिनांक 18/03/2025

--::::::000::::::--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में दिनांक 19.03.2025 को नायब तहसीलदार खैरलांजी, अधोहस्ताक्षरकर्ता, द स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि.मि. बालाघाट/जबलपुर प्रतिनिधि पी.एल. लक्षकार (कनिष्ट प्रबंधक), राजस्व निरीक्षक खैरलांजी, संबधित हल्का पटवारी ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत चिचोली, ग्राम कोटवार एवं अन्य ग्रामवासीयो की उपस्थिति में जिला बालाघाट तहसील खैरलांजी के ग्राम चिचोली स्थित बावनथडी नदी के खसरा कमांक 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र में खनिज रेत हेतु घोषित स्वीकृत खदान का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण अनुसार स्वीकृत रेत खदान खसरा कमांक 463 रकबा 4.99 हे राजस्व रिकार्ड अनुसार बावनथडी नदी का है। बावनथडी नदी म.प्र. व महाराष्ट्र की सीमा को विभक्त करती है। राजस्व अमला तहसील खैरलांजी द्वारा उपस्थित पंचगणों के समक्ष सीमाकन कर स्वीकृत रेत खदान के अक्षांश/देशांश मोबाईल एप/किसान एप के माध्यम से जी.पी.एस. पाईंट लिये गये जो कि खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृत डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट के अनुरूप पाये गये। खदान क्षेत्र में जांच के दौरान स्वीकृत खदान एवं स्वीकृत खदान के आस–पास (म.प्र. की सीमा में) कोई भी व्यक्ति/वाहन द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते नहीं पाया गया। जांच दिनांक को विधिमान्य ठेकेदार नहीं होने से खदान असंचालित थी।

अतः उक्त जांच प्रतिवेदन मोहदय की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

20.3.25

(बसंत कुमार पाटिल)
खनि निरीक्षक
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

दि. 13/05/2025
ग्राम - चिचोली

मौका पंचनामा

आज दिनांक 13/05/2025 को ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट म.प्र. में स्थित बावनथड़ी नदी ख.नं. 463 रकबा 49.500 हे. में से 4.990 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत रेत खदान की जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के पत्र क्र./2213/क्षेका/प्रनिबो/2025 जबलपुर दिनांक 12/05/2025 के तारतम्य में राजस्व अमला तहसील खैरलांजी, खनिज अमला बालाघाट, म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन बालाघाट/जबलपुर के प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत ग्राम चिचोली जाँच के दौरान उपस्थित रहे। मौके पर स्वीकृत रेत खदान ख.नं. 463 रकबा 4.990 हे. जो कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बावनथड़ी नदी का है। बावनथड़ी नदी म.प्र. व महाराष्ट्र की सीमा का विभाजन करती है तथा राजस्व अमले द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन कर स्वीकृत रेत खदान के अक्षांश/देशांश मोबाईल एप/किसान एप के माध्यम से GPS Point लिए गए जो कि खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति/DSR सर्वे रिपोर्ट के अनुरूप सही पाए गए। खदान क्षेत्र में जाँच के दौरान स्वीकृत खदान एवं स्वीकृत खदान के आसपास (म.प्र. की सीमा में) कोई भी व्यक्ति/वाहन द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते नहीं पाया गया। जाँच दिनांक को विधिमान ठेकेदार नहीं होने से खदान असंचालित है।

उक्त पंचनामा पंचों के समक्ष लिखा गया। बाद पढ़कर सुनाया गया सही होने पर हस्ताक्षर किए।

कमलेश कोस्तार
चिचोली

13/5/025 13/05/2025 PLN 24

हनवत
विसेन

कौशलनाथ तुरकर
सरपंच
ग्राम. पंचा. चिचोली

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

Report

Location of Chicholi Sand Mine, Balaghat,Madhya Pradresh

1. The MP State Mining Corporation, in relation to Village Chicholi, conducted a comparison of the co-ordinates of the mine, as mentioned in various statutory documents, i.e.,
   - DSR (Valid for a period of 5 years from 2021-22 to 2026-27), as approved on 06.06.2023.
   - Old Mining plan- as approved on 26.12.2020
   - New Mining Plan- as approved on 21.04.2023
   - Previous Environment clearance- as approved on 25.03.2021
   - Current Environment clearance- as approved on 04.10.2023
   - DGPS Survey report

   A comparative chart is attached herewith (Annexure-1)

   As evident by the chart, the co-ordinates are similar in all the statutory records.

2. Additionally in order to ascertain the actual location of the mine, the co-ordinates as per the Approved Mining Plan and DGPS Report were plotted on the google earth.
   Along with this geocoordinate maps of the village were obtained from the official website of the Land Records Department (https://mpbhulekh.gov.in), which was also plotted on google earth.

   As depicted in the map attached herewith (Annexure-2),
   - The location of the mines as per Mining plan co-ordinates (bound by corner points A,B,C,D)
   - The location of the mine as per the DGPS report (bound by corner points i, ii,iii, iv)
   - Chicholi Village boundary as per digitized bhu abhilekh records.

   While superimposing all three data sets, it is evident that the entire mining area lies within the territory of Madhya Pradesh.

M.P. State Mining Corporation Ltd. * Bhopal *

आशुतोष टेमले
महाप्रबंधक (खान)

Chicholi Mine: Coparative Chart of Geo Co-ordinates

S. No.	District	Tehsil	Name of Mine	Khasra No	Area (Ha.)	Qty as per approved mining plan (Cu.M)	Coordinate as per DSR (From 2021-22 to 2026-27) Approved on 06.06.2023		Coordinate as per Mining plan (As approved on 21.04.2023)		Co-ordinate as per New EC (Dt. 04.10.2023) Mine lies between	
							Latitude (N)	Longitude (E)	Latitude (N)	Longitude (E)	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Balaghat	Khairlanji	Chicholi	463	4.990	59880	21° 31' 51.33"N	79° 52' 07.01' E	21° 31' 51.33"N	79° 52' 07.01"E		
							21° 31' 53.34"N	79° 51' 55.78' E	21° 31' 53.54"N	79° 51' 55.78"E	21° 31' 53.54"N	79° 51' 55.78"E
							21° 31' 48.75"N	79° 51' 54.73' E	21° 31' 48.75"N	79° 51' 54.73"E		
							21° 31' 46.96"N	79° 52' 06.13' E	21° 31' 46.96"N	79° 52' 06.13"E	21° 31' 46.96"N	79° 52' 06.13"E

Coordinate as per Old Mining plan (As approved on 26.12.2020)		Co-ordinate as per old EC (Dt. 25.03.2021) Mine lies between	
Latitude (N)	Longitude (E)	Latitude (N)	Longitude (E)
21° 31' 51.33"N	79° 52' 07.01"E		
21° 31' 53.54"N	79° 51' 55.78"E	21° 31' 53.54"N	79° 51' 54.73"E
21° 31' 48.75"N	79° 51' 54.73"E		
21° 31' 46.96"N	79° 52' 06.13"E	21° 31' 46.96"N	79° 52' 07.01"E

Co-ordinate as per DGPS Report	
Latitude (N)	Longitude (E)
21° 31' 53.8521" N	79° 51' 57.1246" E
21° 31' 53.7329" N	79° 51' 58.8479" E
21° 31' 53.4290" N	79° 51' 59.8744" E
21° 31' 52.9788" N	79° 52' 01.6858" E
21° 31' 52.7926" N	79° 52' 02.9318" E
21° 31' 52.6350" N	79° 52' 03.3613" E
21° 31' 52.3783" N	79° 52' 04.5379" E
21° 31' 51.9927" N	79° 52' 06.6102" E
21° 31' 51.8501" N	79° 52' 07.0091" E
21° 31' 50.2507" N	79° 52' 06.7192" E
21° 31' 48.6493" N	79° 52' 06.4346" E
21° 31' 47.0046" N	79° 52' 06.1373" E
21° 31' 47.1494" N	79° 52' 04.5801" E
21° 31' 47.2862" N	79° 52' 03.0483" E
21° 31' 47.4312" N	79° 52' 02.0005" E
21° 31' 47.6506" N	79° 52' 00.7452" E
21° 31' 48.0070" N	79° 51' 58.9910" E
21° 31' 48.2396" N	79° 51' 57.9790" E
21° 31' 48.4610" N	79° 51' 56.6408" E
21° 31' 48.6807" N	79° 51' 55.2757" E
21° 31' 49.6961" N	79° 51' 55.6294" E
21° 31' 51.0854" N	79° 51' 56.1272" E
21° 31' 52.4714" N	79° 51' 56.6206" E

M.P. State Mining Corporation Ltd.
* Bhopal *

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

जिला बालाघाट की चिचोली रेत खदान की अवस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन

जिला बालाघाट की चिचोली रेत खदान, ग्राम-चिचोली, तहसील-खैरलांजी, जिला-बालाघाट, खसरा क्र-463, रकबा-4.990 है0, की अवस्थिति के संबंध में पुष्टि हेतु आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश की आधिकारिक वैबसाइट https://webgis2.mpbhulekh.gov.in से ग्राम चिचोली का भू-राजस्व नक्शा का क्रय किया गया, जिसकी रसीद परिशिष्ट-1 पर है ।

उक्त नक्शे के आधार पर रेत खदान चिचोली के खसरा क्र-463 कुल रकबा-49.3880 है0 (खदान का स्वीकृत रकबा 4.990 है0) का सम्पूर्ण खसरा मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट के ग्राम चिचोली में अवस्थित पाया गया। उल्लेखनीय है की ग्राम में उक्त क्षेत्र से गुजरने वाली बावनथड़ी नदी का सम्पूर्ण भाग मध्यप्रदेश में एवं ग्राम चिचोली की सीमा में ही है ।

(रोहित अग्रवाल)	**(बुरहानउद्दीन दलाल)**	**(आशुतोष टेमले)**
कंसलटेंट	**द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक**	**महाप्रबंधक (खान)**

Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक
प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005
H. O.: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

Account Details					
Account No	60383418162	Account Open Date	24/03/2021	Nomination Flag	N
Account Type	SBChqMahabank Govt Zero BalSch		Nominee Name	NA	
Mode of Operation	AS PER MANDATE	Total Balance	15,38,60,270.95	Available Balance	15,38,60,270.95
MAB Required		0	MAB Maintained		65540349.671
Account Holder Names	M P STATE MINING CORPORATION			Primary GSTIN	NA

Customer Details					
Name	M P STATE MINING CORPORATION			CIF Number	40276312803
Mobile	xxxxxxxxxx10	Email	axxxxxxxxxxx@gmail.com		
KYC Complied	Y	KYC Expiry Date	27/03/2027	CKYC ID	Not Available
Primary ID Type	LETTER FROM COMPETENT AUTHO	Date of Birth	19xxxxxx62	Statement Date	Thu Aug 28 18:05:26 GMT+05:30 2025
Address	PARYAVAS BHAWAN BLOCK NO 1 A, BLOCK NO 1 A2ND FLOOR JELROAD, ARERA HILLS, BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462001				

Home Branch Details					
Branch No	00753	Branch Name	BHOPAL T T NAGAR	IFSC	MAHB0000753
Phone No	2554477	Email Id	bom753@mahabank.co.in	GSTIN	23AACCB0774B5Z8
Address	29BHADBHADA RD T.T. NAGAR, MAIN RD BHOPAL, BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462003				

A. Statement for Account No 60383418162 from 18/07/2025 to 18/07/2025

Sr No	Date	Particulars	Cheque /Reference No	Debit	Credit	Balance	Channel
1	18/07/2025	GS-180720255GSTTAX 25072300066249 TRANSFER TO 60285510225 TO BANK OF MAHARASHTRA GST POOL ACCOUNT		21,17,05,008.00	-	1,16,24,154.23	Internet Banking
2	18/07/2025	ONLINE Village map of chicholi BDOME3U0QRWLG1 TRANSFER TO 60037971586 TO BOM ONLINE PAYMENT POOL ACCOUNT		5,134.80	-	1,16,19,019.43	Internet Banking
3	18/07/2025	ONLINE jio internet bill 50718705243028775937 TRANSFER TO 60147578828 TO BOM ONLINE PAYMENT POOL ACCOUNT		1,03,249.98	-	1,15,15,769.45	Internet Banking

B. Summary for Account No 60383418162 from 18/07/2025 to 18/07/2025

Total Transaction Count	3	Opening Balance	22,33,29,162.23
Total Debit Count	3	Total Debit Amount	21,18,13,392.78
Total Credit Count	0	Total Credit Amount	0.00
		Closing Balance	1,15,15,769.45

* END OF STATEMENT

- All the amounts in the Statement are in INR
- This is a System Generated Statement. No Signature is Required.
- The Customer is advised to keep their KYC updated periodically with Officially Valid Documents (OVDs) as part of regulatory requirements. Please update your Aadhaar, if it is more than 10 year old.
- Please update your PAN number in your Account, if not done so far.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक
प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005
H. O.: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

All India Toll Free Number :	1800-233-4526 / 1800-102-2636	Website : www.bankofmaharashtra.in

https://twitter.com/mahabank
https://www.facebook.com/mahabank
https://wa.me/+917066036640
https://www.youtube.com/channel/UCcvaMPXN3n3aHZqbH4sd
https://www.linkedin.com/company/mahabank
https://www.instagram.com/mahabank/
https://in.pinterest.com/mahabank/

M.P. State Mining Corporation Ltd. Bhopal

Annexure - 2

A	Lease Boundary- Mining Plan
i	Lease Boundary- DGPS Survey
	Khasra Boundary

0 250 500 m

M.P. State Mining Corporation Ltd. ★ Bhopal ★

आशुतोष
महाप्रबंधक (खान)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -mcdgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 733 / खनिज / 2025 बालाघाट दिनांक 10 / 10 / 2025

प्रति,

संचालक,
प्रशासन तथा खनिकर्म
29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262 / 2024 के संबंध में ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान के निर्देशांको के सत्यापन के संबंध में।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262 / 2024 के संबंध में जवाबदावा तैयार किए जाने बावत् ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान के निर्देशांको का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के पालन में खनि सर्वेयर, सहा. मानचित्रकार तथा खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 06 / 10 / 2025 को संयुक्त रूप से ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान में मौके पर खदान के निर्देशांको का सत्यापन किया जाकर दिनांक 07 / 10 / 2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

(A) उक्त अनुसार अनुसार जिला बालाघाट अंतर्गत के संबंध में स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरणी अनुमति, डी.जी.पी.एस रिपोर्ट के विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों में उल्लेखित खदान के निर्देशांको का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. डी.एस.आर. (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2026–27 तक पांच वर्ष के लिए वैध) जैसा कि 06 / 06 / 2023 को अनुमोदित किया गया।
2. पुरानी अनुमोदित खनन योजना 26 / 12 / 2020
3. नवीन अनुमोदित खनन योजना 21 / 04 / 2023
4. पिछली पर्यावरणीय मंजूरी 25 / 03 / 2021
5. वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी 04 / 10 / 2023
6. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट

उपरोक्तानुसार सभी वैधानिक अभिलेखो में निर्देशांक एक समान है।

(B) उक्त के अतिरिक्त खदान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए स्वीकृत खनन योजना और डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट के अनुसार निर्देशांक गूगल अर्थ पर अंकित किए गए। इसके साथ ही भू–अभिलेख की अधिकारिक वेबसाईट (http://mpbhulekhgov.in) से गांव के भू–निर्देशांक मानचित्र प्राप्त किए गए जिन्हे भी गूगल अर्थ पर अंकित किया गया।

जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है–

1. खनन योजना निर्देशांको के अनुसार खदानों का स्थान चतुर्सीमा बिन्दु A,B,C,D से घिरा हुआ है।
2. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार चतुर्सीमा बिन्दु I, II, III, IV से घिरा हुआ है।
3. भू–अभिलेख डिजीटाईज्ड रिकार्ड अनुसार ग्राम चिचोली गांव की सीमा है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के अनुसार ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 463 रकवा 4.99 हे. क्षेत्र में संपूर्ण खनन क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र में स्थित है। तद्नुसार वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

10/10/2025
खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर,
(खनिज शाखा)
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान के निर्देशांको का सत्यापन किये जाने बाबत्।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 06.10.2025 को जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा नं. 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान के संबंध में स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरणी अनुमति, डी.जी.पी.एस रिपोर्ट के विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों में उल्लेखित खदान के निर्देशांको का मौके पर खनिज अमले द्वारा सत्यापन किया गया, विवरण निम्नानुसार है:–

1. डी.एस.आर. (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2026–27 तक पांच वर्ष के लिए वैध) जैसा कि 06/06/2023 को अनुमोदित किया गया।
2. पुरानी अनुमोदित खनन योजना 26/12/2020
3. नवीन अनुमोदित खनन योजना 21/04/2023
4. पिछली पर्यावरणीय मंजूरी 25/03/2021
5. वर्तमान पर्यावरणीय मंजूरी 04/10/2023
6. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट

उपरोक्तानुसार सभी वैधानिक अभिलेखो में निर्देशांक एक समान है।

(B) उक्त के अतिरिक्त खदान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए स्वीकृत खनन योजना और डी. जी.पी.एस. रिपोर्ट के अनुसार निर्देशांक गूगल अर्थ पर अंकित किए गए। इसके साथ ही भू–अभिलेख की अधिकारिक वेबसाईट (http://mpbhulekhgov.in) से गांव के भू–निर्देशांक मानचित्र प्राप्त किए गए जिन्हे भी गूगल अर्थ पर अंकित किया गया।

जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है–

1. खनन योजना निर्देशांको के अनुसार खदानों का स्थान चतुर्सीमा बिन्दु A,B,C,D से घिरा हुआ है।
2. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार चतुर्सीमा बिन्दु I, II, III, IV से घिरा हुआ है।
3. भू–अभिलेख डिजीटाईज्ड रिकार्ड अनुसार ग्राम चिचोली गांव की सीमा है।

अतः उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 463 रकबा 4.99 हे. क्षेत्र में संपूर्ण खनन क्षेत्र म.प्र. राज्य क्षेत्र में स्थित है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

7.10.2025
खनि सर्वेयर
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

सहा. मानचित्रकार
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

7/10/2025
खनि निरीक्षक
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

R-4

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 734 / खनिज / 2025 बालाघाट दिनांक 10 / 10 / 2025

प्रति,

संचालक,
प्रशासन तथा खनिकर्म
29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262 / 2024 के संबंध में ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान की प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1262 / 2024 के संबंध में माननीय एन.जी.टी. में जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने हेतु ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान की प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की गई जाच की जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त के संबंध में ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान की प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून जांच प्रतिवेदन की जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	वर्ष	मानसून पूर्व जांच प्रतिवेदन	पश्च मानसून जांच प्रतिवेदन	रिमार्क
1	2021	28 / 06 / 2021	06 / 10 / 2021	—
2	2022	22 / 06 / 2022	11 / 10 / 2022	—
3	2023	07 / 07 / 2023	13 / 10 / 2023	—
4	2024	28 / 06 / 2024	06 / 10 / 2024	—
5	2025	27 / 06 / 2025	—	—

उपरोक्तानुसार ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रेत खदान की प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून जांच प्रतिवेदन की जानकारी संलग्न प्रेषित है।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

10/10/2025
खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में प्री मानसून सत्र में रेत खदान चिचोली में उपलब्ध खनिज रेत का स्थल निरीक्षण बाबत्।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में रेत खदान ई–निविदाकार/अनुबंधित ठेकेदार श्री राजेश पाठक निवासी वार्ड न 15 बैहर रोड बालाघाट को माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा अवधि दिनांक 30.05.2020 से दिनांक 30.06.2023 तक खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण 27.06.2021 दिनांक को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. यह कि उक्त खदान के माईनिंग प्लान अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिये खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत होकर माईनिंग प्लान 30.06.2023 तक के लिए वैध है।
2. यह कि प्रदुषण नियंत्रणबोर्ड द्वारा जारी जलवायु सम्मति खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर के लिए स्वीकृत होकर दिनांक 30.06.2023 तक वैध है।
3. यह कि उक्त खदान की पर्यावरण सम्मति सीया/डीया द्वारा जारी पंत्र क्रमांक 7657 दिनांक 25.03.2021 अनुसार प्रतिवर्ष रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत है।
4. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा लगभग 45 प्रतिशत उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

28.6.2021

खनि सर्वेयर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में पोस्ट मानसून सत्र में रेत खदान ग्राम चिचोली में उपलब्ध खनिज रेत का स्थल निरीक्षण बाबत्।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में रेत खदान ई–निविदाकार/अनुबंधित ठेकेदार श्री राजेश पाठक निवासी वार्ड न 15 बैहर रोड बालाघाट को माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा अवधि दिनांक 30.05.2020 से दिनांक 30.06.2023 तक खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण 04.10.2021 दिनांक को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. यह कि उक्त खदान के माईनिंग प्लान अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिये खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत होकर माईनिंग प्लान 30.06.2023 तक के लिए वैध है।
2. यह कि प्रदुषण नियंत्रणबोर्ड द्वारा जारी जलवायु सम्मति खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर के लिए स्वीकृत होकर दिनांक 31.03.2023 तक वैध है।
3. यह कि उक्त खदान की पर्यावरण सम्मति सीया/डीया द्वारा जारी पत्र क्रमांक 7657 दिनांक 25.03.2021 अनुसार प्रतिवर्ष रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत है।
4. यह कि निरीक्षण के दौरान स्वीकृत रेत खदान के सीमा दर्शाने वाले पिल्लर एवं बोर्ड मौके पर स्थापित पाये गये।
5. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत ख़दान में खनिज रेत मात्रा 100 प्रतिशत उपलब्ध होना पाया गया है।
6. यह कि निरीक्षण के दौरान उक्त रेत खदान के अंश भाग में पानी का बहाव देखा गया।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.) 06/10/21

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में प्री मानसून सत्र में रेत खदान चिचोली में उपलब्ध खनिज रेत का स्थल निरीक्षण बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालय से प्राप्त क्रतांक 769/खनिज/2022 बालाघाट दिनांक 02.06.2022।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में रेत खदान ई–निविदाकार/अनुबंधित ठेकेदार श्री राजेश पाठक निवासी वार्ड न 15 बैहर रोड बालाघाट को माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा अवधि दिनांक 30.05.2020 से दिनांक 30.06.2023 तक खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण 14.06.2022 दिनांक को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. यह कि उक्त खदान के माईनिंग प्लान अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिये खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत होकर माईनिंग प्लान 30.06.2023 तक के लिए वैध है।
2. यह कि प्रदुषण नियंत्रणबोर्ड द्वारा जारी जलवायु सम्मति खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर के लिए स्वीकृत होकर दिनांक 31.03.2023 तक वैध है।
3. यह कि उक्त खदान की पर्यावरण सम्मति सीया/डीया द्वारा जारी पत्र क्रमांक 7657 दिनांक 25.03.2021 अनुसार प्रतिवर्ष रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत है।
4. यह कि स्वीकृत रेत खदान के निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शा अनुसार स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना पाया गया।
5. यह कि सेण्ड पोर्टल में परीक्षण अनुसार मौका निरीक्षण दिनांक को खनिज रेत मात्रा 49151 घनमीटर का परिवहन किया जाना पाया गया।
6. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा लगभग 48 प्रतिशत उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– मौका पंचनामा।

खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.)
24/06/22

मौका पंचनामा

स्थान = चिचोली
दिनांक = 14/06/22

आज दिनांक 14/06/22 को मौका ग्राम चिचोली तह०- खैरलांजी जिला= बालाघाट ग्राम चिचोली के भूमि खसरा क्र० 901 का निरीक्षण ग्राम चिचोली के कोना रकबा हे०- 4.63 रकबा 4.388 हे० क्षेत्र के 4.330 हे० क्षेत्र में श्री राजेश यादव निवासी बेहट रोड़ बालाघाट को अवधि 30/05/2020 से 30/06/2023 तक स्वीकृत रेत खदान की जांच हेतु उक्त स्वीकृत किया गया। निरीक्षण के दौरान खदान की जानकारी को प्रदर्शित करने वाला बोर्ड स्थापित पाया गया। स्वीकृत खदान क्षेत्र में कारवाई सीमा पीलर स्थापित पाये गये। स्वीकृत खदान में रेत खनन कार्य चालू पाया गया। स्वीकृत खदान के माइनिंग प्लान अनुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन की मात्रा 34810 घन मी० स्वीकृत है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत खदान क्षेत्र में खनित रेत की मात्रा माइनिंग प्लान में स्वीकृत मात्रा का 48 प्रतिशत मौके पर उपलब्ध होना पाया गया। हम पंचों के मौका पंचनामा करा दिया सही होने पर हमने अपने हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षर)
14/06/22
खनि निरीक्षक
जिला-बालाघाट
(क० 97)

(हस्ताक्षर)
मधुकर बिजेवार
(सैनिक)

(हस्ताक्षर)
कमलेश [illegible]
निवासी - बालाघाट

सुरेश
कुरेश नागरे
नि. बेहरई

(हस्ताक्षर)
[illegible]
निवासी [illegible]

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में प्री मानसून सत्र में रेत खदान चिचोली में उपलब्ध खनिज रेत का स्थल निरीक्षण बाबत्।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में रेत खदान ई–निविदाकार/अनुबंधित ठेकेदार श्री राजेश पाठक निवासी वार्ड न 15 बैहर रोड बालाघाट को माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा अवधि दिनांक 30.05.2020 से दिनांक 30.06.2023 तक खनिज रेत हेतु स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण 27.06.2023 दिनांक को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. यह कि उक्त खदान के माईनिंग प्लान अनुसार प्रति वर्ष के लिये खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर अनुमोदित है।
2. यह कि प्रदुषण नियंत्रणबोर्ड द्वारा जारी जलवायु सम्मति प्रति वर्ष खनिज रेत की मात्रा 94810 घन मीटर के लिए सम्मति प्राप्त है।
3. यह कि उक्त खदान की पर्यावरण सम्मति सीया/डीया द्वारा जारी पत्र क्रमांक 7657 दिनांक 25.03.2021 अनुसार प्रतिवर्ष रेत की मात्रा 94810 घन मीटर स्वीकृत है।
4. यह कि स्वीकृत रेत खदान के निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शा अनुसार स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना पाया गया।
5. यह कि सेण्ड पोर्टल में परीक्षण अनुसार मौका निरीक्षण दिनांक को खनिज रेत मात्रा 94810 घनमीटर का परिवहन किया जाना पाया गया।
6. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा 0 प्रतिशत उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

07/07/23
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित बावनथड़ी के खसरा क्रमांक 463 के अंश भाग रकबा 4.990 हे. क्षेत्र रेत खदान की **पोस्ट मानसून सत्र 2023** में खनिज रेत उपलब्ध के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

–::::::000::::::–

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान का स्थल निरीक्षण दिनांक 02.10.2023 को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. यह कि निरीक्षण के दौरान स्वीकृत रेत खदान के सीमा दर्शाने वाले पिल्लर एवं बोर्ड मौके पर स्थापित नहीं पाये गये।
2. यह कि उक्त खदान के माईनिंग प्लान अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीयं, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिये अनुमोदित खनन योजना में खनिज रेत की प्रस्तावित उत्पादन/निकासी मात्रा 59880 घन मीटर है।
3. यह कि मानसून सत्र में जिले में पर्याप्त वर्षा होने के कारण स्वीकृत रकबा क्षेत्र में प्रथम दृष्टया देखने पर पर्याप्त मात्रा में रेत का जमाव हुआ है।
4. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा लगभग 100 प्रतिशत उपलब्ध होना प्रतीत होता है।
5. यह कि निरीक्षण के दौरान उक्त रेत खदान के अंश भाग में पानी का बहाव देखा गया।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

3/10/23
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित बावनथड़ी के खसरा क्रमांक 463 के अंश भाग रकबा 4.990 हे. क्षेत्र रेत खदान की **पोस्ट मानसून सत्र 2024** में खनिज रेत उपलब्ध के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

–::::::000::::::–

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान का स्थल निरीक्षण दिनांक 06.10.2024 को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. यह कि निरीक्षण के दौरान स्वीकृत रेत खदान के सीमा दर्शाने वाले पिल्लर एवं बोर्ड मौके पर स्थापित नहीं पाये गये।
2. यह कि उक्त खदान के माईनिंग प्लान अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिये अनुमोदित खनन योजना में खनिज रेत की प्रस्तावित उत्पादन/निकासी मात्रा 59880 घन मीटर है।
3. यह कि मानसून सत्र में जिले में पर्याप्त वर्षा होने के कारण स्वीकृत रकबा क्षेत्र में प्रथम दृष्टया देखने पर पर्याप्त मात्रा में रेत का जमाव हुआ है।
5. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा लगभग 100 प्रतिशत उपलब्ध होना प्रतीत होता है।
6. यह कि निरीक्षण के दौरान उक्त रेत खदान के अंश भाग में पानी का बहाव देखा गया।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

06/10/2024
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.)

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :— भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित बावनथड़ी के खसरा क्रमांक 463 के अंश भाग रकबा 4.990 हे. क्षेत्र रेत खदान की **प्री मानसून सत्र 2024** में खनिज रेत उपलब्ध के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण 28.06.2024 दिनांक को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

1. यह कि उक्त खदान के अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खनिज रेत हेतु मात्रा 59880 घन मीटर वर्ष 2028 तक के लिए वैध है।
2. यह कि प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जलवायु सम्मति खनिज़ रेत की मात्रा 59880 घन मीटर के लिए स्वीकृत होकर दिनांक 03.10.2028 तक वैध है।
3. यह कि उक्त खदान की पर्यावरण सम्मति सीया द्वारा जारी पत्र क्रमांक 10238/2023 जारी दिनांक 04.10.2023 अनुसार प्रतिवर्ष रेत की मात्रा 59880 घन मीटर स्वीकृत है।
4. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा लगभग 25 प्रतिशत उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

28/06/24
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– भारत सरकार वन, पर्यावरण तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी गाईड के पालन में ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित बावनथड़ी के खसरा क्रमांक 463 के अंश भाग रकबा 4.990 हे. क्षेत्र रेत खदान की **प्री मानसून सत्र 2025** में खनिज रेत उपलब्ध के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

—::::::000::::::—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी के भूमि खसरा क्रमांक 463 के कुल रकबा 49.388 हे. के अंश रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत खदान का स्थल निरीक्षण 27.06.2025 दिनांक को किया गया। निरीक्षण अनुसार एवं नस्ती परीक्षण अनुसार विस्तृत विबरण निम्नानुसार है –

1. यह कि उक्त खदान के अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खनिज रेत हेतु मात्रा 59880 घन मीटर वर्ष 2028 तक के लिए वैध है।
2. यह कि प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जलवायु सम्मति खनिज रेत की मात्रा 59880 घन मीटर के लिए स्वीकृत होकर दिनांक 03.10.2028 तक वैध हैं।
3. यह कि उक्त खदान की पर्यावरण सम्मति सीया द्वारा जारी पत्र क्रमांक 10238/2023 जारी दिनांक 04.10.2023 अनुसार प्रतिवर्ष रेत की मात्रा 59880 घन मीटर स्वीकृत है।
4. यह कि निरीक्षण दौरान उक्त खदान में माईनिंग प्लॉन में दर्शित मात्रा अनुसार स्वीकृत रेत खदान में खनिज रेत मात्रा लगभग 30 प्रतिशत उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

27/06/25
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म.प्र.)

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

S.No./IT/2025/ 372 Date:- 24/07/25

To,

Managing Director,

Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation,

Bhopal

Subject: Addition in the scope for Study of Sand deposition pattern in sand mines and other sand bearing areas

Reference: Letter No. SMCL/0004/2025-MAJR MIN-MPSMCL I/228453/2025, Dt. 31.03.2025

Dear Sir,

The Madhya Pradesh State mining Corporation has been granted lease of all the declared sand mines in the State and been entrusted with the responsibility to obtain statutory clearances of all these mines.

With refrence to the letter issued earlier we hereby request you to please also include-

Balaghat District

as part of pilot study project, to carry out study of pattern of deposition of sand in these mines and other sand bearing areas.

The scope of study shall remain same as communicated in the letter referenced above.

Regards,

Ashutosh Temle

GM (Mines)

S.No./IT/2025/ **Date:-**

To,
Managing Director,
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation,
Bhopal

Subject: Study of Sand deposition pattern in sand mines and other sand bearing areas

Dear Sir,

The Madhya Pradesh State mining Corporation has been granted lease of all the declared sand mines in the State and been entrusted with the responsibility to obtain statutory clearances of all these mines. The Corporation is desirous to carry out study of pattern of deposition of sand in these mines and other sand bearing areas.

In line with the technical discussion held with your team at our office in the subject on 25.03.2025, we request you to conduct a pilot study for these two districts-

1. Narmadapuram
2. Datia

The scope of study shall be as follows:

a. Study of entire sand bearing areas of these district based on High resolution satellite imagery for last 2-3 years.
b. Study of the change in deposition pattern of sand due to the change in river course
c. Identification of large sand blocks (less than 250 ha. area)

We will provide the details (Co-ordinates, KML Files etc.) of existing declared sand mines in the district, so it can be overlapped over the satellite imagery and vacant areas can be identified.

We request you to please instruct the concerned to complete this pilot study and submit report within 3 weeks

M.P. State Mining Corporation

(as agreed upon during the meeting) to enable us to make a decision on expanding the scope of study. Also kindly intimate the estimated charges for this work.

Digitally signed by
Frank Noble A
Date: 21-03-2025
19:32:02

(Frank Noble A)
Managing Director
MPMSCL

M.P. State Mining Co.

Re: Technical Discussion on Conducting replenishment study of Sand Mines of MPSMCL

M P State Mining Corp Bhopal < info.mpsmc@mp.gov.in >

Mon, 24 Mar 2025 4:19:20 PM +0530

To "patelanoop"<patel.anoop@mp.gov.in>

Cc "Frank Noble A."<md.mpsmc@mp.gov.in>,"sgoyal"<sgoyal@mp.gov.in>,"Nand Kumarum"<md@mpsedc.com>,"ASHUTOSH TEMLE" <ashutoshtemle.mpsmc@mp.gov.in>,"ATUL SHARMA"<cgmf.mpsmc@mp.gov.in>

Dear Anoop Ji,

As discussed earlier, MPSMCL intends to conduct replenishment study of all the sand mines available in the state of Madhya Pradesh.
As per the sustainable sand mining guidelines, drone survey technology can be utilised to conduct this study.

In this regards, we request you please join us for a technical discussion and way forward for conducting this study through MPSEDC.

A meeting is being scheduled being chaired by MD, MPSMCL sir, on 25.03.2025 (Tuesday), 11:00 AM, at MPSMCL conference hall, please join along with your team for a fruitful discussion.

Thanks & Regards,

The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd.
Paryawas Bhawan, Block 'A', II nd floor,
Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011.
Tel No.: +91 0755-2763394

Corporation Ltd. * Bhopal * M.P.S.

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
फैक्स : 0755- 2763394
e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

पंजीकृत कार्यालय :
पर्यावास भवन, ब्लाक नं. 1 (ए)
द्वितीय तल, जेल रोड,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

// आदेश //

क्रमांक/रेत/2025/158 भोपाल, दिनांक: 27.05.2025

विषय: पर्यावरण अनुश्रवण प्रकोष्ठ (Environment Monitoring Cell) के गठन के संबंध में।

म0प्र0 रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम को प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपटटा स्वीकृत किया जाकर, खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने का दायित्व दिया गया है। जिसके क्रम में निगम द्वारा खदानों के माईनिंग प्लान तैयार कर पर्यावरण स्वीकृति एवं जलवायु सम्मति प्राप्त की गई है एवं समूहवार नियुक्त माईन डवलपर कम ऑपरेटर के माध्यम से रेत का खनन एवं विक्रय किया जा रहा है। एमडीओ द्वारा पर्यावरण संबंधी वैधानिक दायित्वों की पूर्ति की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निगम स्तर पर "पर्यावरण अनुश्रवण प्रकोष्ठ (Environment Monitoring Cell)" का गठन किया जाता है।

उक्त प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी रहेगा–

1. परियोजनावार पर्यावरणीय स्वीकृतियों (EC) एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) के अनुपालन की सतत निगरानी।
2. तृतीय-पक्षीय पर्यावरणीय ऑडिट का समन्वय एवं मूल्यांकन।
3. CSR एवं EMP मद अंतर्गत पर्यावरणीय कार्यों का प्रतिवेदन संधारण।
4. पर्यावरणीय रिपोर्टों का नियत प्राधिकरणों को समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सतत निगरानी ।
5. पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय चेतना, जन-जागरूकता एवं प्रशिक्षण हेतु गतिविधियाँ संचालित करना।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
भोपाल

प्रारंभिक स्तर पर प्रकोष्ठ में निम्न अधिकारी/कर्मचारी समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नामित किए जाते हैं:-

क्र0	नाम	पदनाम
1.	श्री पी0पी0 राय	उप संचालक (खनिज प्रशासन) सचांलनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म
2.	श्री आशुतोष टेमले	महाप्रबंधक (खान), म0प्र0 राज्य खनिज निगम
3.	श्री हितेन्द्र जैन	कंसलटेंट (डेलॉईट) म0प्र0 राज्य खनिज निगम
4.	श्री दलाल बुरहानउददीन	खान प्रबंधक, म0प्र0 राज्य खनिज निगम, सदस्य सचिव

आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ में अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञ/परामर्शदाता को अनुबंध/कार्यादेश के माध्यम से समाहित किया जा सकेगा।

प्रकोष्ठ द्वारा माह में एक बार मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(आशुतोष टेमले)
महाप्रबंधक (खान)

पृ0 क्रमांक/रेत/2025/159 **दिनांक:- 27.05.2025**

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परियोजना प्रस्तावक (पी0पी0), समस्त रेत जिला समूह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. एमडीओ, समस्त रेत जिला समूह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक (खान)

Sand/2023/1675

ANNEXURE R-7

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालाघाट

क्रमांक - 735 दिनांक 10/10/2025

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्,
29-ए, खनिज भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- संयुक्त समिति की रिपोर्ट 23/12/2024 के खदानों से प्रेषित खनिज के मात्रा निर्धारण के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में ओ.ए. क्रमांक 1262/2024 (शंकरलाल लाखड़े एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित आदेश दिनांक 20/11/2024 के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त समिति की रिपोर्ट में वास्तविक खनिज उत्खनन और परिवहन की मात्रा निर्धारित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की भी अनुशंसा की गई थी।

नदियों से निकाली गई रेत को निर्धारित एवं स्वीकृत भंडारण स्थलों (स्टॉकयार्ड्स) पर संग्रहित किया जाता है। इन स्टॉकयार्ड्स पर वर्ष 2024 एवं 2025 में म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से आयतनात्मक सत्यापन (वॉल्यूमेट्रिक वेरिफिकेशन) किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रेत खनिजों की बिक्री भी आयतन के आधार पर की जाती है, जिसके आधार पर खनिज पारगमन पास (मिनरल ट्रांजिट पास) जारी किए जाते हैं, ताकि वाहनों के माध्यम से परिवहन किया जा सके। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए खनिज की मात्रा का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है।

वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 10/10/2025
खनि निरीक्षक	खनिज सर्वेयर	खनि अधिकारी
खनिज शाखा जिला बालाघाट	खनिज शाखा जिला बालाघाट	वास्ते कलेक्टर बालाघाट

LETTER - OCT. - 2025

View Half Yearly Compliance Report at Project Proponent

Proposal Details

Proposal No	SIA/MP/MIN/430049/2023	**Category**	Non-Coal Mining		
Name of Project	CHICHOLI SAND QUARRY				
Plot / Survey/ Khasra No.	463	**Village(s)**	CHICHOLI	**Sub-District(s)**	Khairlanji
State	MADHYA PRADESH	**District**	BALAGHAT		
MoEF File No	10238/2023	**Name of the Entity/ Corporate Office**	PURAN LAKSHKAR	**Entity's PAN**	*****7172J
Entity Name as per PAN	PURAN LAKSHKAR	**Entity details mentioned above is correct ?**	Agree		

Covering Letter

Covering Letter Click to View

Compliance Reporting Details

Reporting Year 2025 **Reporting Period** 01 Dec(01 Apr - 30 Sep)

Remark(if any) jan-june 2025

Details of Production and Project Area

Date of Commencement of Project/Activity 21-12-2024

	Project Area as per EC Granted(ha.)	Actual Project Area in Possession(ha.)
Private	0	0
Revenue Land	4.99	4.99
Forest	0	0
Others	0	0
Total	4.99	4.99

Land Documents Click to View

Sr.No.	Name of the Product	Units	As per EC Granted	As per CTO Granted	CTO ID	Valid Up To	Production during last financial year
1	sand	Others:M3	0	0	0	01-01-0001	0

Conditions

Specific Conditions

Sr.No.	Condition Heading	Condition Details	Status of Compliance,Remarks / Reason and Supporting Documents

General Conditions

Sr.No.	Condition Heading	Condition Details	Status of Compliance,Remarks / Reason and Supporting Documents
1	Statutory compliance	upload report	
2	GREENBELT	NA	

Document uploaded by the PP

Last Site Visit Report (if available) Click to View

Last Site Visit Report Date (if available)

Additional Attachment (if any) Click to View

Additional Remarks (if any) Plz Find Complionce report

☑ I 'PURAN LAKSHKAR' hereby give undertaking that the data and information given in the filed compliance and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the clearance given to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above, I hereby give undertaking that no activity such as change in project layout, construction, expansion, etc. has been taken up without due approval.

Cover Letter From RO/SRO

Cover Letter From RO/SRO

Back

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

From:- Lessee- Puran Lakshkar, The M.P State Mining Corporation. MP Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal

Sub-Lessee- M/S R.G And Associates. (MDO) Ward No.15 Baihar Road Balaghat. MP

To,
The Member Secretary,
MP-SEIAA, E-5 Paryavaravan Parishar Arera Colony, Bhopal M.P-462016.

The Director Moef
Kendriya Paryavaran Bhawan, E-5 Arera Colony, Link Road no.-3 Ravishankar nagar Bhopal-462016.

The Collectorate
Mining office Balaghat MP

Sub: Submission of Compliance of the Conditions of Environmental Clearance for Sand Quarry in an area of 4.990 hectare, near village - chicholi, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat, Khasra No.-463

Reference:EC issued by SEIAA, vide letter no. EC23B001MP183358, dated 04/10/2023

Sir,

As per the office Memorandum of SEIAA-MP vide no. 930/SEIAA/2019 dated 30.05.2019, we are submitting the Environmental clearance compliance of above subjected QL with the following documents:

1. Environmental Clearance Compliance
2. Copy of Environmental Clearance
3. Photographs showing plantation carried out, etc.

This compliance report is submitted for your information and office record purpose.

Thanking you

पूरन लाल लश्कार (कनिष्ठ प्रबंधक) खा.
म. प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट

M.P. State Mining Corporation Ltd. * Bhopal *

M/s. R.G. And Associates
R.P.D. And G.P. (Consortium)
Add.-Ward No.-15,Baihar Road,Balaghat

Proprietor

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

INDEX

SR. No.	Document's	Annexure
1	SEIAA OFFICE OM LETER	ANNEXURE-1
2	COMPLIANCE REPORT	ANNEXURE-2
3	PLANTATION PHOTOGRAPHS	ANNEXURE-3
4	SEIAA COPY	ANNEXURE-4

M.P. State Mining Corp... * Bhop...

ANNEXURE-1

M.P. State Mining Corp.

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
((Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-462016
Visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 930 /SEIAA/2019
Date: 30.5.2019

Office Memorandum

It has been observed that the six monthly compliance reports are not being submitted by many Project Proponents to the concerned regulatory authority i.e. MPSEIAA/Regional Office, MoEF&CC, GoI Bhopal on regular basis on 1st June and 1st December of each calendar year as per prior EC Condition. It is to mention here that submission of compliance report is mandatory as per section 10 of EIA Notification, dated 14th September, 2006. Further, non-submission of compliance report is also a violation of General condition of prior EC. A hard and soft copy of all backlog half yearly compliance report should be uploaded online on website or sent through e-mail / CD on regular basis i.e. for the period from January-June and July-December in each calendar year as non furnishing of information may lead to violation of Section-20 of EP Act 1986 & may attract appropriate action including revocation of EC.

In context of above, all Project Proponents are herby informed and directed to submit the compliance report to the concerned regulatory authority i.e. SEIAA/Regional Office, MoEF&CC, GoI Bhopal on regular basis. As per MoEF&CC, GoI Notification dated 25.11.18, soft copy of compliance report will now be uploaded by PP on ministry's website instead of submitting hard and soft copy.

A serious note in this regard has been taken into consideration and authority decided to upload six monthly (half yearly) compliance report of EC conditions including CER/CSR activities regularly by Project Proponent on MoEF&CC, GoI website with intimation to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC, GoI, Bhopal). **If Project Proponent is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority than prior Environmental Clearance issued to Project Proponent will automatically be treated as cancelled/revoked.** In case, PP is unable to upload compliance report on ministry's web site due to any reason than PP can submit hard copy of compliance report to concerned authorities.

(Jitendra Singh Raje)
Member Secretary

Endt No. / SEIAA/19 Dated:-

Copy to

1. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC, GoI, Indira Paryavaran Bhavan, Jorbag Road, New Delhi.
2. Principal Secretary, Environment Department, Govt. of MP, Mantralaya, Bhopal
3. Secretary, Mineral Resources Department, Govt. of MP, Mantralaya, Bhopal.
4. Chairman, SEIAA and SEAC.
5. Secretary, SEAC, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony Bhopal.
6. Director, Geology & Mining, 29-A, Khanij Bhavan, Arera Hill, Bhopal.
7. All District Collectors, Madhya Pradesh.
8. All concerned.

Member Secretary

M.P. * Bhopal *

ANNEXURE-2

M.P. State ... * Bho...

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

SIX MONTHLY ENVIRONMENT CLEARENCE COMPLIENCE REPORT

FOR

Chicholi Sand Quarry

Area 4.990 Hectare, Kh. No. –463

AT

Village-chicholi

Tehsil:Khirlanji

Dist –Balaghat(M.P.)

Proponent

Puran Lakshkar,
The M.P State Mining Corporation.
Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal. MP

Bhopal

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

विशिष्ट शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	खनन योजना अनुसार उत्पादन किया जायेगा !	मेरे द्वारा खनन योजना के अनुसार ही उत्पादन किया जावेगा!
2-	खनन क्षेत्र को चारों तरफ से तारों से घेरा जावेगा !	मेरे द्वारा खदान क्षेत्र में तार फेंसिंग करवाया गया है जो की फोटोग्राफ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है !
3-	सड़क मार्ग तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा !	सड़क मार्ग में पौधों कवृक्षरोपण किया गया है !
4-	स्वीकृत खदान को अवधी समाप्ति के समय केचमेंट क्षेत्र सम्मिलित करते हुए खनन योजना अनुसार तालाब निर्माण करना होगा !	**अनुपालन किया जाएगा**
5-	उत्खनन पट्टाधारी को स्वीकृत क्षेत्र एवं आस -पास उपलब्ध शासकीय भूमि पर 500 पौधों का वृक्षारोपण कर संधारण करना होगा ।	**अनुपालन किया जाएगा**
6-	परियोजना प्रस्तावक बिना अनुबंध निष्पादन के खनन कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा !	मेरे द्वारा अनुबंध करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जावेगा!
7-	खदान की औसत गहराई लीज अवधी की समाप्ति तक ६.०० मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए !	**अनुपालन किया जाएगा**
8-	खदान के पुनरुद्धार हेतु खनिज विभाग द्वारा निर्धारित राशि को कलेक्टर के पास जमा करना होगा ताकि पट्टा अवधी पश्चात भूमि सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके	**अनुपालन किया जाएगा**

State Mining Corporation Ltd

9-	म. प्र. द्वारा सीया एवं सेक में प्रस्तुत कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा !	मेरे द्वारा यदि कोई त्त्रुटिपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है तो में उसका उत्तरदायी होऊंगा !
10	खनन स्थल को किसी उपयुक्त आवरण द्वारा ढंका जाना होगा !	**अनुपालन किया जाएगा**
11	म. प्र. को खनन करने के साथ साथ वृक्षारोपण करना होगा तथा वृक्षों का पांच वर्षों तक रख रखाव करना होगा !	**अनुपालन किया जाएगा**
12	खनिज परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा !	मेरे द्वारा खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा
13	क्षेत्र के सामाजिक उठान हेतु समुचित गतिविधियां करना होगी तथा उक्त कार्य हेतु जमा राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से उपयोग में लाना होगी.!	**अनुपालन किया जाएगा**
14	म. प्र. द्वारा क्षेत्र के पेड़ पौधों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे !	**अनुपालन किया जाएगा**

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

मानक शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	आवश्यकतानुसार सिर्फ दिन में नियंत्रित रूप से ब्लास्टिंग की जावेगी !	मेरे द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग आवश्यक्तानुसार दिन के समय ही की जावेगी !
2-	खदानों में वृक्षारोपण किया जावेगा तथा वृक्षों का रख रखाव सुनिश्चित किया जावेगा ! बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पेड़ नहीं गिराए जावेंगे !	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनिज परिवहन करने हेतु हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढका जावेगा ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल आदि न उड़े !	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति क्षेत्र के स्थानीय निकायों के प्रमुखों तथा सम्बंधित शासकीय विभागों के अधिकारीयों के समक्ष प्रस्तुत करना होगी !	अनुपालन किया जाएगा
1-	मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु शर्तें बदली जा सकेगी !	अनुपालन किया जाएगा
2-	किसी भी प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी छुपाना अथवा असत्य /कूट अभिलेख प्रस्तुत करने पर उक्त पर्यावरण अनापत्ति वापस ले ली जावेगी तथा उक्त के विरुद्ध पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी !	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

3-	पर्यावरण स्वीकृत की वैधता सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वेद मान्य रहेगी	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा से अनापत्ति में तेरा प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत थे खनन सक्रिय आरंभ की जाएगी	अनुपालन किया जाएगा
5-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वन मंडल अधिकारी वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित कराई जाए	अनुपालन किया जाएगा
6-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के सुख क्षेत्र जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधि की जाए	अनुपालन किया जाएगा
7-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज वाले वाहन जीपीएस सहित पंजीकृत वहां ट्रैक्टर तालियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
1-	खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू संदर्भित किया जाए	अनुपालन किया जाएगा
2-	मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा

3-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का बनाया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लॉग बुक रखी जाए जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वहां की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाए	अनुपालन किया जाएगा
5-	अगर नदी की धारा सुखी है तो उत्खनन धारा के ताल की सबसे निचले काम की गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए	अनुपालन किया जाएगा
6-	क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किए जाएंगे इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा एवं सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से !	अनुपालन किया जाएगा
7-	श्रमिकों को हर 6 मा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा !	अनुपालन किया जाएगा
8-	खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए !	अनुपालन किया जाएगा
9-	खदान में प्रवेश के समय परियोजना प्रस्तावक के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा	अनुपालन किया जाएगा
10	परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में दो पोकलेन का उपयोग कर सकता है दो से ज्यादा पोकलेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी	अनुपालन किया जाएगा
11	नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन नदी के किनारो को उचित	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

	बांधो द्वारा स्थिर किया जाए एवं उचित वृक्षारोपण किया जाए खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाए !	
1-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा वृक्षारोपण व पीने के पानी के लिए उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा	अनुपालन किया जाएगा
2-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेत की स्थापना की जाएगी	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
5-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो भी रेत के वहां को पूरी तरह से ट्रिपल से ढककर आवाजाही की जाएगी !	अनुपालन किया जाएगा

M.P. State * Bhopal

ANNEXURE-3

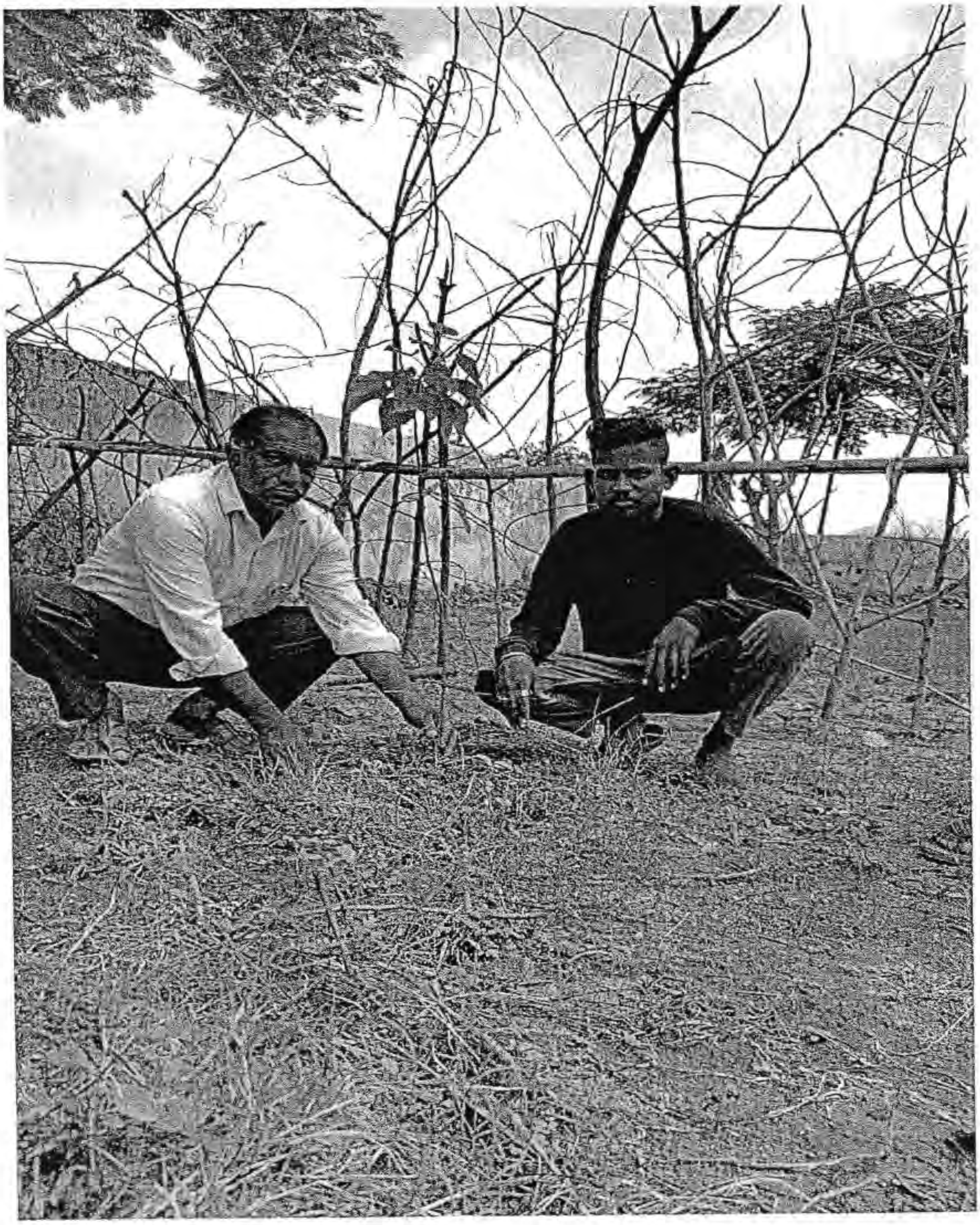

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

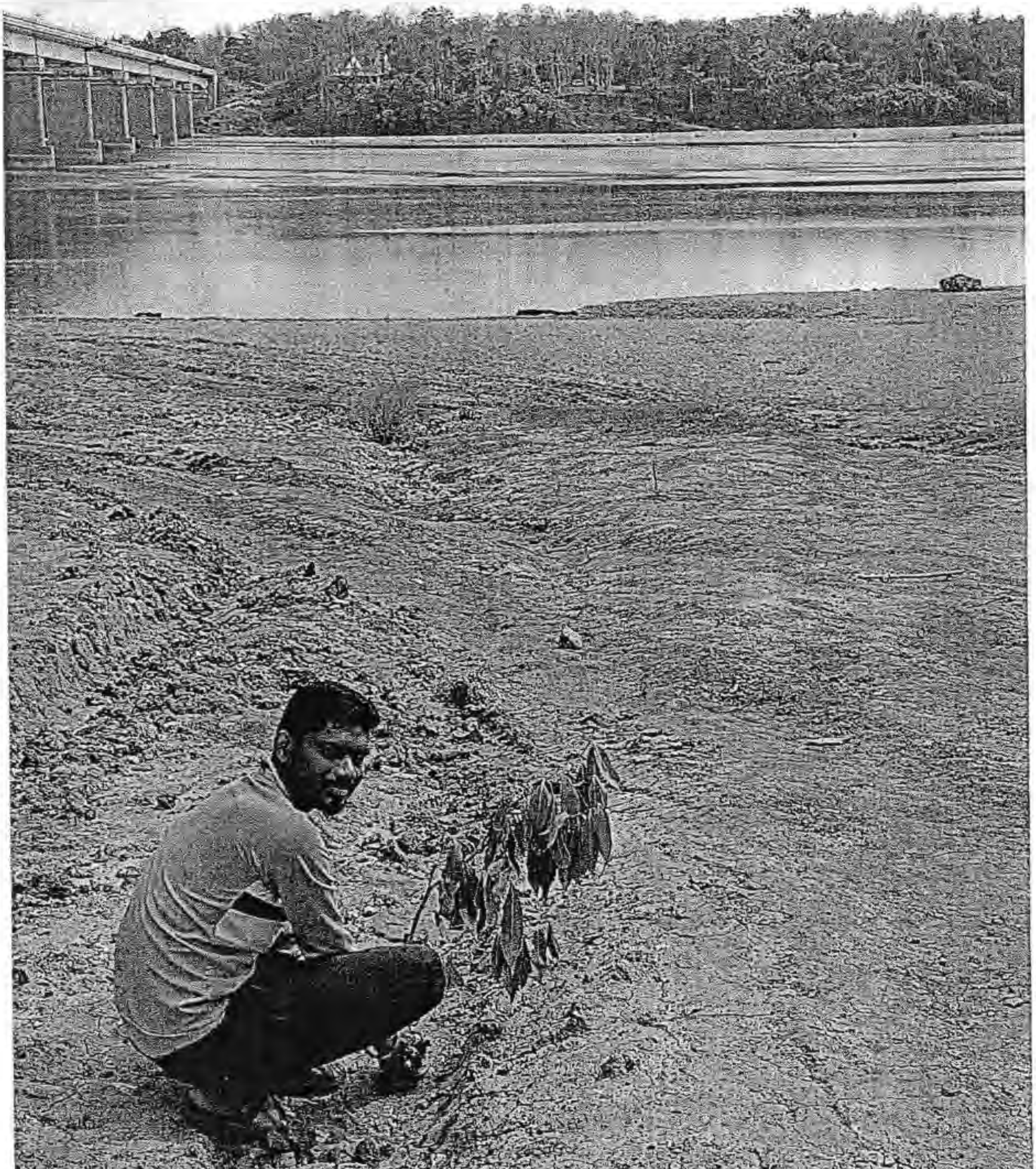

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

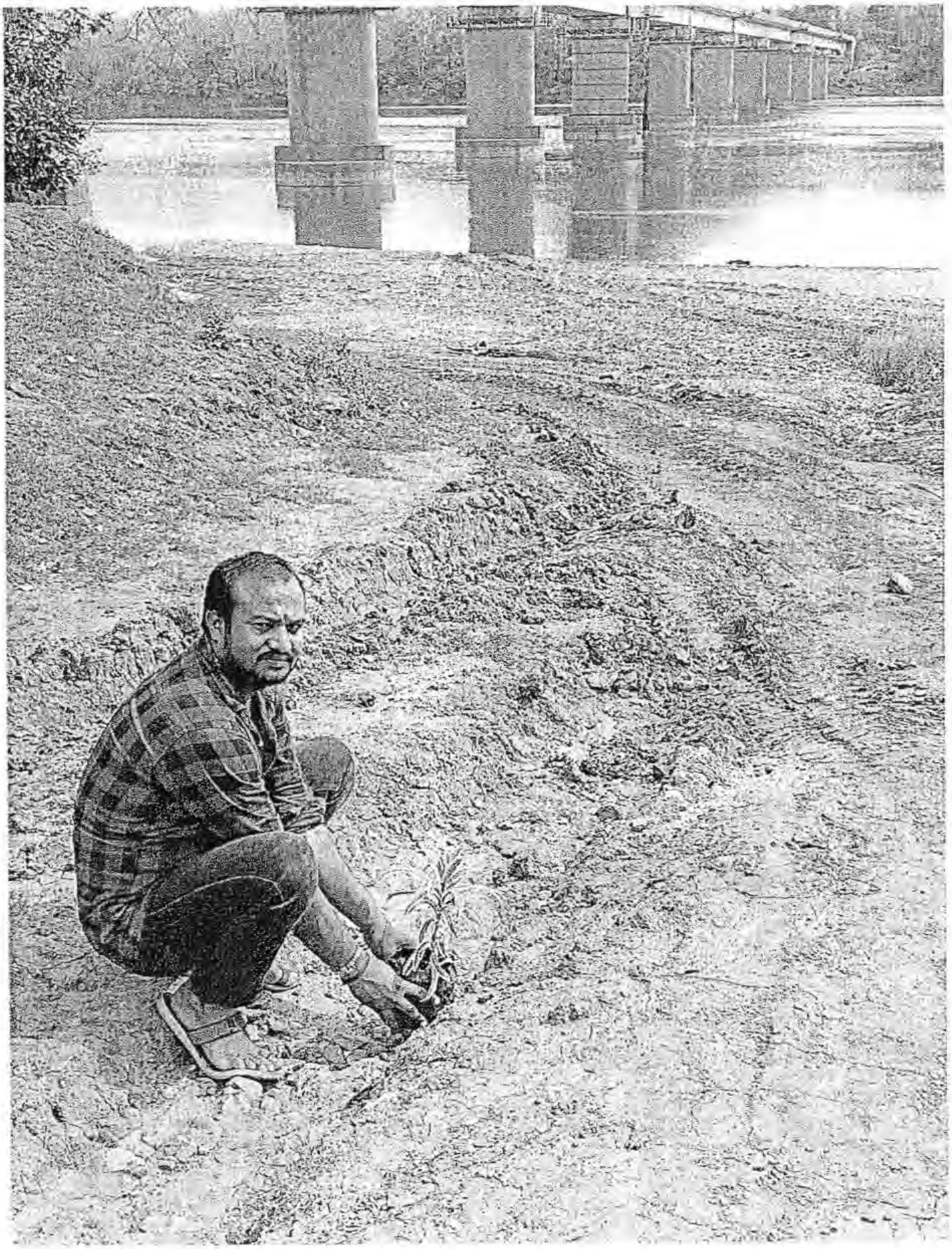

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

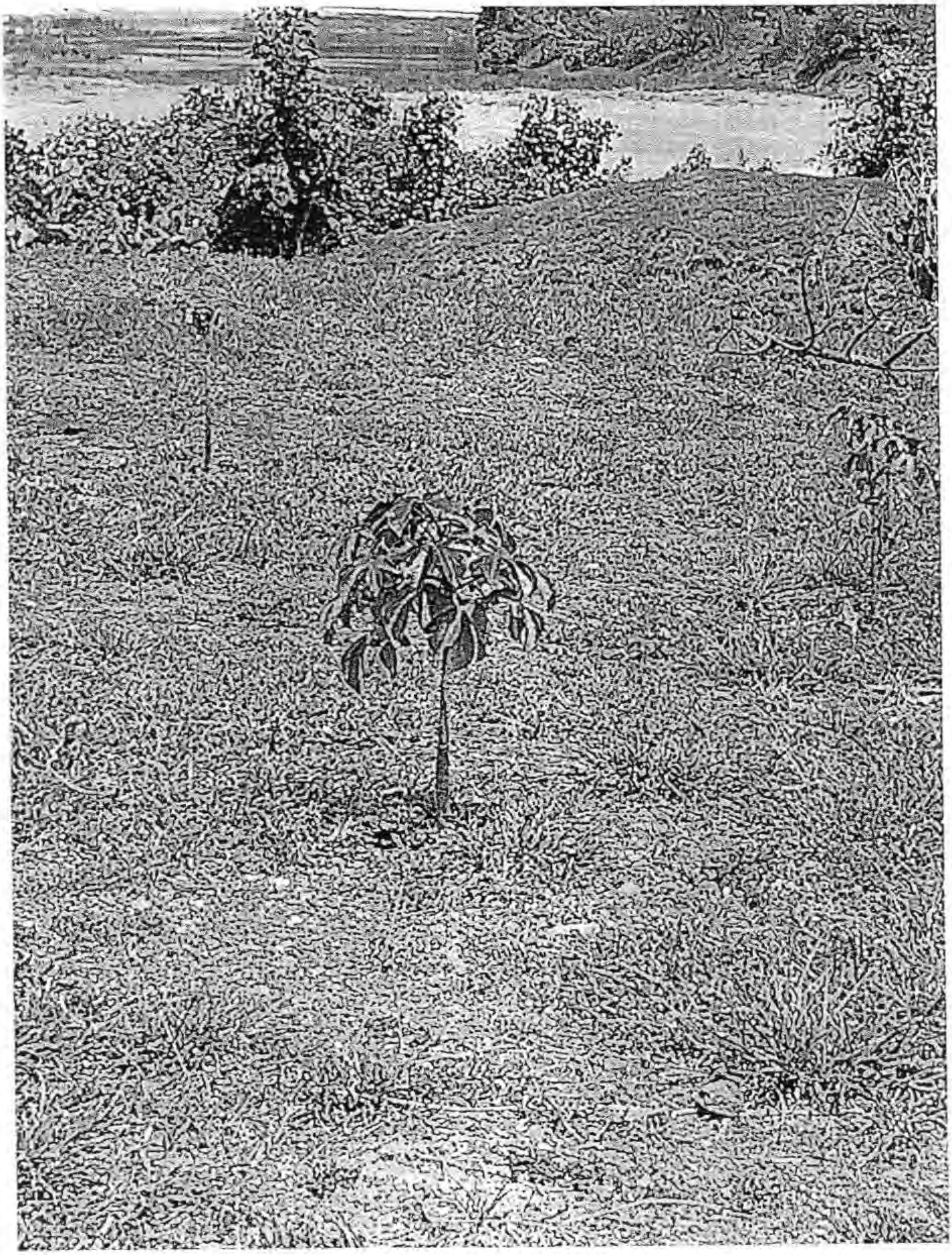

M.P. State Mining C... Bho...

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

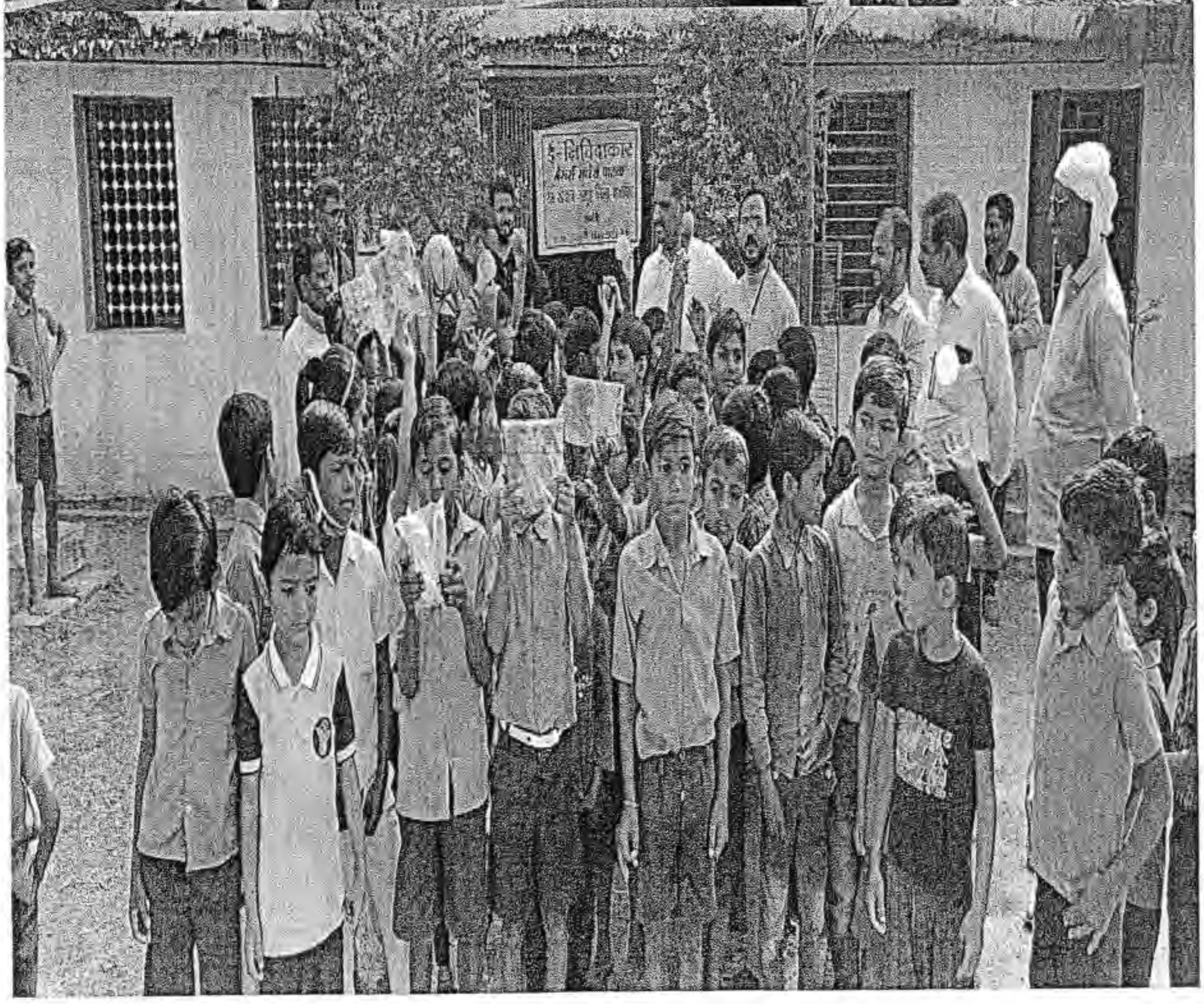

ANNEXURE-4

State Mining Corporation

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
PURAN LAKSHKAR
The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011 -462011

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/430049/2023 dated 14 Jul 2023. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B001MP183358**
2.	**File No.**	10238/2023
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	CHICHOLI SAND QUARRY
7.	**Name of Company/Organization**	PURAN LAKSHKAR
8.	**Location of Project**	MADHYA PRADESH
9.	**TOR Date**	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 04/10/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 - प्रकरण क्र. 10238/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम थिचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 20.07.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्र. 651 दिनांक 03.06.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°31'46.96" से 21°31'53.54' और देशांतर 79°52'06.13" से 79°51'55.78" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वी बैठक दिनांक 08.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम थिचौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति भय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

Bhopal

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
12. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेबल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
16. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
19. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
26. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

M.P. State * Bhopal

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

32. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :–

34. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out thsough the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

35. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.

37. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

38. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

39. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

ration Ltd.

40. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.

41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

42. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

43. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

44. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान केपिटल राशि रू. 18.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 10.00 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।

46. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-(भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चिचोली के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु आर.ओ. वाटर कूलर के लिए 60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चिचोली के खाते में जमा की जावेगी ।	60,000

47. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4560 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	1500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	1000
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा गरारी, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं सिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	350
2	ग्राम चिचोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, गुलगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2880
3	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, सिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	250
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।		

M.P. State Mining Corporation Ltd. * Bhopal *

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जावेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।	
योग	5988

48. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

49. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रिड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुन:पूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।

50. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।

51. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।

52. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा

53. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा

54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।

55. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन–स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।

56. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

57. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू–संदर्भित किया जाये ।

58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।

Corporation Ltd.

59. मानसून के मौसम मे कोई खनन नहीं किया जाएगा।

60. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एव सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

61. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अवाधित गहराई से आगे नही बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

62. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

63. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

64. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

65. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहो आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।

66. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनाय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।

67. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायो के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।

68. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।

69. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

70. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

71. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।

72. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

73. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

74. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख –रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।

75. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा है या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए है" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।

76. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

77. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
   - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
   - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
   - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
   - माईनेबल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
   - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
   - खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।

78. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
   i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
   ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
   iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
   iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
   v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
   vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
   vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
   viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
   ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

M.P. State Mining Corporation * Bhopal *

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

79. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

80. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधो के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

81. संबधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियॉं रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाऐ।

82. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस–पास के ग्रामीणों को घास/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मेडिकल गार्डेन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

83. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

84. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियॉं जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

85. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अनेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉं।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वी पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई मे हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों मे पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोढ़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियो का बीज छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियां, खस घास बीजअनेक आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति मे पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉंचवी, छठवी पंक्ति हेतु बॉंस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पैरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जावेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई ब्तममकपदह ळतवनदक तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का रुझान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्रकार का बदलाव तो नही हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त कवरों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायो के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।

21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कि जा सकती है।

22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:--

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल –
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

M.P. State Mining Co. * Bhopal

ANNEXURE R-9

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-3015/पीएसएमआरडी/24 भोपाल, दिनांक-29/05/2024

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्य प्रदेश

विषयः- नवीन रेत खदाने घोषित किए जाने के संबंध में।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधनों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है, एवं निगम द्वारा खदानों की वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से रेत खनन एवं विक्रय हेतु माइन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम0डी0ओ0) की नियुक्ति की गयी है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 अनुसार मुख्यतः नदी पर निर्मित संरचनाओं यथा पुल, सार्वजनिक सिविल स्ट्रक्चर आदि से एक निर्धारित दूरी तक खनन योजना अनुमोदित नहीं की जा सकती है। पूर्व घोषित खदानों के निकट पुल एवं अन्य सिविल स्ट्रक्चर विकसित हो जाने के कारण आज दिनांक तक मध्यप्रदेश सिया द्वारा संलग्न सूची अनुसार कुल 87 रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति संबंधी आवेदन अस्वीकार किए गए हैं।

2. रेत खदानों में माइन डेवलपर कम ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी अनुबंध में एमडीओ को यह विकल्प दिया गया है, कि वह पूर्व से निविदा में सम्मिलित खदानों (जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं है) को नवीन खदानों से प्रतिस्थापित कर सकता है। अथवा समूह में निविदत्त मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियां उपलब्ध होने पर उक्त सीमा तक नवीन खदानों को प्रतिस्थापित कर सकेगा। नवीन खदानों की अतिरिक्त मात्रा के विरुद्ध एमडीओ द्वारा शासन को अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान भी है। संबंधित प्रावधानों की प्रति संलग्न है।

3. पर्याप्त मात्रा में रेत खदान ना उपलब्ध कराए जाने पर MDO के द्वारा कई बार न्यायलयीन वाद भी दायर किए जाते हैं। न्यायालयीन वाद से बचने, अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु, एवं शासन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हेतु सभी रेत धारित खदान **क्षेत्रों में, जो कि अब तक खदान के रूप में घोषित नहीं है, को खदान के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक है।**

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1) में कलेक्टर द्वारा प्रदेश की नदियों अथवा अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान किए जाने तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण कराया जाकर इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित, चिन्हित किए जाने का प्रावधान है।

खदानों की घोषणा किए जाने के संबंध में नियम 5 (2) के प्रावधान निम्नानुसार है:-

"रेत खदानों का घोषित किया जाना- उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार चिन्हित रेत खदान, जानकारी/आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा, ऐसी जांच कराए जाने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, घोषित की जाएगी। रेत खदान घोषित किए जाने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से अभिमत प्राप्त किया जाएगा एवं इस प्रयोजन के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा:

परंतु यदि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से 15 दिवस की कालावधि के भीतर, यदि कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो कलेक्टर, यह मानकर कि कोई आपत्ति नहीं है, केवल गैर अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन रेत खदानें घोषित करेगा:

परन्तु यह और कि यदि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से नियत कालावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो कलक्टर आपत्ति का निराकरण गुण-दोष के आधार पर करते हुए खदान को घोषित करने का संबंध में समुचित निर्णय लेगा:

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानें घोषित करने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा:

परन्तु यह और भी कि पूर्व से परिचालित अथवा नीलाम किए गए ऐसे रेत धारित क्षेत्रों को पृथक से घोषित किया जाना आवश्यक नहीं होगा"

उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:-

क्रमांक	अपेक्षित कार्यवाही	अवधि
1	प्रथम चरण में समस्त रेत धारित क्षेत्रों, जो कि अब तक खदान के रूप में घोषित नहीं है, को चिन्हांकित एवं सीमांकित कर उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत खदान के रूप में घोषित किया जाना, ताकि निगम द्वारा यथाशीघ्र नवीन घोषित खदानों की समस्त वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर उन्हे एमडीओ को रेत खनन एवं विक्रय हेतु सौंपा जा सके।	15/07/2024 तक
2	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 20/04/2022 के माध्यम से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को रेत के मामलों में 250 हेक्टेयर तक के प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अधिकार दिया गया है। अतः नदियों के किनारे अधिकतम 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाये एवं उन्हे नए सिरे से खदान के रूप में 90 दिवस में घोषित किया जाकर मध्यप्रदेश सिया से उनकी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा सके।	15/09/2024 तक

उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ.क्रमांक-3076/पीएसएमआरडी/24 भोपाल, दिनांक-29/05/2024

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

ANNEXURE R-10

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,मध्यप्रदेश
29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल
फोन एवं फैक्स 0755-2551795
e-mail : dirgeomn@nic.in

क्रमांक/ /आई.टी./न.क्र./2025 भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री आनंद कुमार,
उप महाप्रबंधक/मार्केटिंग
मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
प्लॉट नंबर 17, रघुनाथ नगर,
शाहपुरा भोपाल (म0प्र0) 462039
ई-मेल - anandnkn@railtelindia.com, pavan@railtelindia.com

विषयः- जिला बालाघाट, तहसील तिरोड़ी के ग्राम बोनकट्टा (करई खवासा मार्ग) पर ई-चेकगेट स्थापित करने बावत्।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा ई-चेकगेट स्थापित करने हेतु आर.एफ.पी. (Request for proposal) दिनांक 02.09.2023 को जारी की गई थी, जिसमें मेसर्स रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का चयन सर्विस प्रोवाईडर के रूप में किया गया था। मेसर्स रेलटेल कार्पोरेशन को दिनांक 31.01.2024 को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा 40 ई-चेकगेट स्थापित करने हेतु वर्क ऑर्डर जारी किया गया था।

2. RFP के पृष्ठ क्रमांक 94 पर उल्लेखित Terms & Conditions के बिंदु क्रमांक 5 अनुसार चेकगेट की संख्या में 50% तक वृद्धि की जा सकती है।

3. उक्त 40 ई-चेकगेट के अतिरिक्त जिला बालाघाट, तहसील तिरोड़ी के ग्राम बोनकट्टा (करई खवासा मार्ग) पर एक अन्य ई-चेकगेट स्थापित किया जाना है।

अतः बिन्दु क्रमांक 3 में दर्शाये गये स्थल पर एक अतिरिक्त ई-चेकगेट लगाये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिसका भुगतान पूर्व में किये गये अनुबंध एवं टेण्डर की शर्तानुसार पृथक से किया जायेगा।

Digitally signed by Jitendra Kumar Solanki
Date: 24.09.2025 15:47:06
संयुक्त संचालक
(खनिज प्रशासन)
24-09-2025